राजस्थान सरकार
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

क्रमांक:एफ.6(10)अमुअ(श)/पीएचईडी/परिपत्र/20–21/ 20777-821 दिनांक:– 17/08/2020

–:: परिपत्र ::–

राजस्थान जल प्रदाय नियम 1967 के अनुसार राज्य में सभी श्रेणी के जल सम्बन्ध दिनांक 04.01.2008 से पूर्व, पंजीकृत नलकार (Plumber) द्वारा ही जारी किए जाते रहे थे। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.01.2008 से घरेलू श्रेणी के जल सम्बन्ध जारी करने के लिए पंजीकृत नलकार की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत एवं अप्रशिक्षित नलकारों से जल सम्बन्ध करवाने के कारण विभागीय पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होती है एवं विभागीय मापदण्ड के अनुसार जल सम्बन्ध नहीं किए जाते है। इससे "गैर राजस्व जल (NRW) में बढ़ोतरी हुई है एवं जल राजस्व में आशातीत वृद्धि नहीं हो पाई है। अन्य राज्यों में पंजीकृत नलकार से ही जल सम्बन्ध करवाने के प्रावधान है।

राज्य सरकार ने पंजीकृत नलकार व्यवस्था के सम्बन्ध में पुर्नविचार किया है एवं निम्नानुसार निर्णय लिया है:–

1. सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के जल सम्बन्ध अनिवार्य रूप से पंजीकृत नलकार से ही करवाए जाऐंगे।

2. नलकार का पंजीकरण खण्ड कार्यालय (अधिशाषी अभियन्ता) में किया जाएगा एवं पंजीकृत नलकार का कार्यक्षेत्र पंजीकरण प्राधिकारी के अधीन क्षेत्र तक सीमित रहेगा।

3. नलकार का पंजीकरण शुल्क/नवीनीकरण शुल्क विभागीय परिपत्र F/FA&CAO/RWSSMB/Mission/14-15/18886-902 दिनांक 31.03.2017 के अनुसार होगा। पंजीकरण अवधि 5 वर्ष तक के लिए मान्य रहेगी। 5 वर्ष की अवधि के उपरान्त निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरान्त पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाएगा।

4. आवेदन के साथ नलकार द्वारा रूपयें 10,000/– की प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) एफ.डी.आर. के रूप मे पंजीकरण अवधि तक के लिए जमा करवानी होगी।

5. पंजीकरण अवधि में यदि पंजीकृत नलकार अवैध जल सम्बन्ध करते हुए अथवा विभागीय मापदण्ड के अनुसार कार्य करता नहीं पाया गया तो अधिशाषी अभियन्ता द्वारा धरोहर राशि जब्त करने एवं पंजीकरण को निरस्त करने का अधिकार होगा। अधिशाषी अभियन्ता के द्वारा की गयी कार्यवाही पर अधीक्षण अभियन्ता प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अति0 मुख्य अभियन्ता

17/8/2020
(C.M. CHAUHAN)
C.E. (URBAN & NRW)
P.H.E.D., JAIPUR

द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगे। प्रथम अपील के लिए रूपयें 100/— एवं द्वितीय अपील के लिए रूपयें 250/— का शुल्क जमा करवाना होगा।

आवेदक के पास निम्न योग्यता होनी अनिवार्य होगी अथवा निम्न योग्यता का व्यक्ति रखना होगाः—

➢ सिविल इंन्जिनियरिंग/मैकेनिकल इंन्जिनियरिंग में ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या उच्चतर योग्यता।

या

➢ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियर्स या ए.आई.सी.टी.ई. से नलकारी अथवा सेनेटरी इंजिनियरिंग का प्रमाण—पत्र

या

➢ आई.टी.आई या राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से नलकारी अथवा सेनेटरी अथवा फीटर ट्रेड का प्रमाण—पत्र

या

➢ पंजीकृत नलकार के अधीन 5 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव प्रमाण—पत्र

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
आर.ए.एस.
शासन उप सचिव—प्रथम

क्रमांकःएफ.6(10)अमुअ(श)/पीएचईडी/परिपत्र/20—21/20777 - 821 दिनांकः— 17/08/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, जन स्वा0 अभि0 विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा0 अभि0 विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव—द्वितीय, जन स्वा0 अभि0 विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (तकनीकी) एवं पदेन त0स0, आरडब्ल्यूएसएसएमबी, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू/ग्रामीण/वि0 परियोजना/प्रशासन)/परियोजना जोधपुर/पीएमसी नागौर।
6. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, आरडब्ल्यूएसएसएमबी, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), जन स्वा0 अभि0 विभाग, जयपुर।
8. सचिव, आरडब्ल्यूएसएसएमबी, जयपुर।
9. अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, क्षेत्र..................(समस्त) को देकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र को उनके अधीनस्थ समस्त अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं को प्रेषित कर तद्नुसार कार्यवाही के लिए निर्देशित करें।

शासन उप सचिव—प्रथम